


# कार्यालय कलेक्टर (आबकारी), जिला – नारायणपुर (छ0ग0)

क्र./आब./सी.एस.एम.सी.एल./निविदा/2018/53

नारायणपुर, दिनांक 3/3/2018

## मदिरा परिवहन हेतु पुनर्निविदा सूचना वर्ष 2018-19

नारायणपुर जिले में वर्ष 2018-19 के लिए देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किये जाने के फलस्वरूप जिले में स्थित 01 देशी एवं 01 विदेशी मदिरा दुकानों के लिए देशी मदिरा का प्रदाय मद्य भण्डागार, जगदलपुर से तथा विदेशी मदिरा का प्रदाय छ.ग. स्टेट ब्रेवरेजेस कार्पोरेशन रायपुर स्थित सिलतरा गोदाम से परेषण प्राप्त कर मदिरा परिवहन करने हेतु इच्छुक निविदाकारों से मुहरबंद निविदाएं (तकनीकी बिड/प्राइज बिड) पृथक-पृथक दिनांक 19/03/2018 को अपरान्ह 03.00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, नारायणपुर कलेक्टोरेट कक्ष क्रमांक – 99 में आमंत्रित की जाती है। मुहरबंद प्राप्त निविदाओं को निविदाताओं की उपस्थिति में दिनांक 19/03/2018..... को निविदा समिति द्वारा संध्या 04:00 बजे जिला आबकारी अधिकारी, नारायणपुर के कार्यालय में खोली जावेगी। निविदा की शर्तें/नियम, निविदा प्रारूप तथा मदिरा दुकानों के नाम क्षेत्र आदि की विस्तृत जानकारी अवकाश के दिवसों को छोड़कर कार्यालयीन समय (प्रातः 10.30 बजे से सायः 05.30 बजे तक) पर जिला आबकारी अधिकारी, जिला नारायणपुर के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।


  
कलेक्टर,

जिला नारायणपुर (छ0ग0)  
नारायणपुर, दिनांक 3/3/2018

पृ.क्र./आब./सी.एस.एम.सी.एल./निविदा/2018/54

प्रतिलिपि :-

1. आबकारी आयुक्त (छ0ग0) रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. प्रबंध संचालक, छ.ग.स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला नारायणपुर (छ0ग0) की ओर उपरोक्त निविदा सूचना को यथाशीघ्र समाचार पत्रों में प्रकाशित/प्रसारित कराकर सूचना की कतरन दिनांक एवं समाचार पत्र के नाम सहित कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, नारायणपुर के उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, नारायणपुर, जिला नारायणपुर की ओर सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त निविदा सूचना को जिले के शासकीय वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. कलेक्टर/जिला आबकारी कार्यालय नारायणपुर के नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु।

  
कलेक्टर,

जिला नारायणपुर (छ0ग0)